बिन्दु क्र 1

कार्यालय ग्रामसभा ग्राम पंचायत नावली, जनपद पंचायत छैगावमाखन
जिला खण्डवा मध्यप्रदेश

–ग्रामसभा का सहमति पत्र –

प्रमाणित किया जाता है–

1. जल संसाधन विभाग की रोशिया तालाब योजना में बांध एवं नहर निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम तोरनी के आरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड रोशिया के कक्ष क्रमांक 05 में है उक्त वन भूमि (26.44 हे.) के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्रामसभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासीयों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत भवन दिनांक 28/8/17 को की गई जिसमें ग्रामसभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वनभूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अनय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है, तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्रामसभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नः– ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांकः– 28/8/17

सजनबाई
सरपंच
ग्राम पंचायत नावली
जन पंचा छैगावमाखन

सचिव
ग्राम पंचायत, नावली
जन. पंचा. छैगांवमाखन

Scanned with CamScanner

कार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत नावली **विकास खण्ड/जनपद पंचायत** छैगांवमाखन

दिनांक	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही — विवरण	की गई कार्यवाही — संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6
28/8/17	(1) श्रीमती सजनबाई सरपंच (2) श्री खुश्यालसिंह उपसरपंच (3) श्री जितेन्द्र पंच (4) श्री सुनील ग्रा.स.सदस्य (5) श्री काशीराम " (6) श्री दिलीप " (7) श्री जगदीश " (8) श्री प्रकाश " (9) श्री जगदीश (10) श्री नन्दा " (10) श्री गोरधन " (10) श्री देवसूर " (11) श्री जीवा " 12 श्री दशरथ "	प्रस्ताव क्र. 3 जल संसाधन विभाग की रोशीया योजना मे बांध निर्माण के कार्य अन्तर्गत डुब क्षेत्र मे आने वाली ग्राम तोरनी की आरक्षित भूमी वन क्षेत्र के वन खण्ड 5 की वन भूमि का प्रस्ताव बाबद्	आज दिनांक 28/8/17 को ग्राम सभा बैठक मे यह प्रस्ताव रखा गया कि जल संसाधन विभाग की रोशीया तालाब योजना मे बांध का निर्माण कार्य कराया जाना है। रोशीया तालाब योजना को म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. F22/2/2016-17 31डी3 दिनांक 24/3/17 के द्वारा लागत राशि 3318.30 लाख की 955 हेक्टेयर क्षेत्र के लिये प्रदान की गई है। योजना मे डुब क्षेत्र मे ग्राम तोरनी के आरक्षित वन क्षेत्र रोशीया के वन खण्ड मे कक्ष क्र 5 26.45 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। दिनांक 13/7/17 को जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त निरिक्षण एवं प्रभावित डुब क्षेत्र वन भूमि का सीमांकन किया गया। जिसमे डुब क्षेत्र की वन भूमी 26.45 हे. आई है। उक्त वन भूमी क्षेत्रफल 26.45 हेक्टेयर के व्यपवर्तन हेतु ग्राम सभा मे यह प्रस्ताव लिया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन के फल स्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत	स्वीकृत	[illegible]

सजनबाई
सरपंच
ग्राम पंचायत नावली
जन पंचा छैगांवमाखन

सचिव
ग्राम पंचायत, नावली
जन पंचा. छैगांवमाखन

Scanned with CamScanner

कार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत नावली विकास खण्ड/जनपद पंचायत छैगांवमाखन

दिनांक	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही — विवरण	की गई कार्यवाही — संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6
28/8/17			क्षेत्र मे विकास एवं जल स्तर मे वृद्धि होगी अतः ग्राम सभा उक्त कार्य हेतु सहमति का प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित करती है	स्वीकृत	
			सरपंच ग्राम पंचायत नावली जन पंचा छैगांवमाखन	सचिव ग्राम पंचायत, नावली जन. पंचा. छैगांवमाखन	

कार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत नावली विकास खण्ड/जनपद पंचायत छैगांवमाखन

Swastik

दिनांक	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही — विवरण	की गई कार्यवाही — संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6
8/1-7			28/8/17 को		
	1) श्रीमती सजनबाई	प्रस्ताव क्र. 3	आज दिनांक		
	सरपंच	जल संसाधन विभाग	ग्राम सभा बैठक में यह		
	2) श्री खुशाल सिंह	की रोशीया योजना	प्रस्ताव रखा गया कि		
	उपसरपंच	मे बांध निर्माण के	जल संसाधन विभाग की		
	3) श्री जितेन्द्र पंच	कार्य अन्तर्गत डुब	रोशीया तालाब योजना		
		क्षेत्र मे आने वाली	मे बांध का निर्माण कार्य		
	4) श्री सुनील ग्रा.स.सदस्य	ग्राम तोरनी की	कराया जाना है रोशीया		
	5) श्री काशीराम "	आरक्षित भूमि वन	तालाब योजना की A.S		
	6) श्री दिलीप "	क्षेत्र के वन खण्ड	म.प्र. शासन जल संसाधन		
	7) श्री जगदीश "	5 का वन भूमि	विभाग मंत्रालय के पत्र क्र		
	8) श्री [illegible] "	का प्रस्ताव बाबद	F22/2/2016-17 3153 दिनांक		
	[illegible]		[illegible]		
			[illegible]		

	गोरदान —		क्षेत्र के लिए प्रदान की गई थी	
	श्री रेवपुर —		योजना में डुब क्षेत्र में	
1	श्री जीवा —		ग्राम तोरनी के आरक्षित	
2	श्री दशरथ —		वन क्षेत्र रोशिया के वन खण्ड	
			मे कक्ष क्र. 5 26.44 हेक्टेयर	
			वन भूमि प्रभावित हो रही थी	
			दिनांक 13/7/17 को जल संसाधन	
			विभाग एवं वन विभाग द्वारा	
			संयुक्त निरिक्षण एवं प्रभावित	
			डुब क्षेत्र वन भूमि का	
			सीमांकन किया गया।	
			जिसमे डुब क्षेत्र की वन भूमि	
			26.44 हे. आई है। उक्त	
			वन भूमि क्षेत्रफल 26.44 हेक्टेयर	
			के व्यपवर्तन हेतु ग्राम सभा	
			मे यह प्रस्ताव किया जाता	
			है कि वन भूमि व्यपवर्तन	
			के फल स्वरूप सम्पादित किये	
			जाने वाले कार्यो से पंचायत	

सज्जनबाई
सरपंच
ग्राम पंचायत नावली
जन पंचा छैगांवमाखन

सचिव
ग्राम पंचायत, नावली
जन. पंचा. छैगांवमाखन

Scanned with CamScanner

कार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत नावली विकास खण्ड/जनपद पंचायत छैगांवमाखन

	की गई कार्यवाही			
उपस्थित पंचों के नाम	विवरण	संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
2	3	4	5	6
		क्षेत्र मे विकास एवं रोजगार मे वृद्धि होगी अतः ग्राम सभा उक्त कार्य हेतु सहमति का प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित करती है	स्वीकृत	
		सज्जनबाई सरपंच ग्राम पंचायत नावली जन. पंचा. छैगांवमाखन	सचिव ग्राम पंचायत, नावली जन. पंचा. छैगांवमाखन	

कार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत नावली — विकास खण्ड/जनपद पंचायत छैगाँव माखन

Swastik

दिनांक 28/8/17	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही		प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशांनी
		विवरण	संक्षिप्त कार्यवाही		
1	2	3	4	5	6
1)	श्रीमती सजन बाई सरपंच	प्रस्ताव क्र.1	आज दिनांक 28/8/17 को		खुशपालसिंह
2)	श्री खुशीयाल उपसरपंच	स्ट्रेट लाईट लगाने	ग्राम पंचायत भवन		
3)	श्री सुनील ग्राम सचिव	बाबत।	नावली मे प्रातः 11 बजे		
4)	श्री गोकुल —		ग्राम सभा बैठक का		
5)	श्री काशीराम —		आयोजन किया		
6)	श्री दिलीप —		जिसमे निम्न प्रस्तावो		अशोकसिंह
7)	श्री जगदीश —		पर विचार विमर्श		[signature]
8)	श्री जगदीश —		किया गया।		सुनीलमोरे
9)	श्री प्रकाश —				Jugdish
10)	श्री गोरधन —		आज दिनांक को ग्राम		
11)	श्री संतोष —		सभा बैठक मे यह प्रस्ताव		गोकुल
12)	श्री नन्दी —		रखा गया कि ग्राम		
			नावली मे...		

श्री जितेन्द्र सिंह पंच		नावली, तोरनी, सहेजना शिवपुरी से स्टेट लाइट		कासिराम
श्री देवङ्गर "		लगाया जाना उचित है।		
श्री जीवा				
श्री सन्दीप सिंह				
श्री बबलू "	प्रस्ताव क्र02	आज दिनांक को ग्राम	स्वीकृत	Dilip
10 श्री दगडू "	राष्ट्रीय परिवार	सभा बैठक में यह		
11 श्री नन्दा "	सहायता बाबत्	प्रस्ताव रखा गया कि		जगदीश
12 श्री रामचन्द्र		ग्राम तोरनी के हितग्राही		[illegible]
13 श्री सुधा तवर		जसवन्त मोतीलाल की		[illegible]
श्री परवीन "		को मृत्यु हो गई इनकी 18/8/17		
16 श्री जीवन "		पत्नी कामी बाई को		[illegible]
श्रीमती चिन्ता बाई		राष्ट्रीय परिवार सहायता		गोवर्धन सिंह
श्री मनोज "		दिया जाना उचित है।		
19 श्री शिवपाल "				[illegible]

सजनबाई
सरपंच
ग्राम पंचायत नावली

ार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत नावली **विकास खण्ड/जनपद पंचायत** छैगांवमाखन

Swastik

	उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही		प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशांनी
		विवरण	संक्षिप्त कार्यवाही		
	2	3	4	5	6
		प्रस्ताव क्र 3	आज दिनांक 28/8/17 को		सुधा जवर
		जल संसाधन विभाग	ग्राम सभा बैठक मे यह		
		की रोशीया	प्रस्ताव रखा गया कि		जीवन
		तालाब योजना	ग्राम सभा मे जल संसाधन		
		मे बांध निर्माण	विभाग की रोशीया तालाब		[signature]
		का कार्य अन्तर्गत	योजना मे बांध का निर्माण		चिन्ताबाई
		डुब क्षेत्र मे	कार्य किया जाना उपरान्त		शिवपाल
		आने वाली ग्राम	रोशीया तालाब योजना		
		तोरनी की आरक्षित	को प्रशासकीय स्वीकृति		
		वनक्षेत्र के वन	म.प्र. शासन जल संसाधन		
		खण्ड 5 की वन	विभाग मंत्रालय के पत्र		
		भूमि का प्रस्ताव	क्र [illegible]		

	... वन	विभाग ... के पत्र		
	भूमि का प्रस्ताव	क्र. ... 22/ ... /2016-17		
	बाबत /	3153/ दिनांक 21/3/17 के		
		द्वारा लागत रु. 3318.30		
		लाख की 955 हेक्टेयर क्षेत्र		
		के लिये प्रदान की गई है		
		योजना के डुबान क्षेत्र में		
		ग्राम लोरनी के आरक्षित		
		वन क्षेत्र सोरीया के वन		
		खण्ड में कक्ष क्र. 05		
		26.44 हेक्टेयर वन भूमि		
		प्रभावित हो रही है।		
		दिनांक 19/7/17 को जल		
		संसाधन विभाग एवं		
		वन विभाग द्वारा संयुक्त		
		निरिक्षण एवं प्रभावित डुबान		
		क्षेत्र वन भूमि का सीमांकन		
		किया गया जिसमें डुबान क्षेत्र		
		की वन भूमि 26.44 हेक्टेयर		
		आई है उक्त वन भूमि		
		क्षेत्रफल 26.44 हेक्टेयर।		सरपंच

सरपंच
ग्राम पंचायत ...
जन. पंचा. ...

र्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत नावली विकास खण्ड/जनपद पंचायत छैगावमाखन

Swastik

उपस्थित पंचों के नाम	की गई कार्यवाही		प्रस्ताव निर्णय	सरपंच उपसरपंच, सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
	विवरण	संक्षिप्त कार्यवाही		
2	3	4	5	6
		के व्यपवर्तन हेतु ग्राम सभा मे यह प्रस्तावित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास एवं ~~भू~~ जन हित मे वृद्धि होगी		
		अतः ग्राम सभा उक्त पर आपनी सहमति का प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित		

		सब		
		किया जाना है।		
	प्रस्ताव क्र. 4			
	जल संसाधन	आज दिनांक को ग्राम		
	विभाग की ...	सभा बैठक में जगदीश		बबलू
	तालाब योजना	... ग्राम ... एवं		...
		अन्य किसानों द्वारा यह		
		प्रस्ताव रखा गया कि		नन्दू
		उक्त निर्माण कार्य हेतु		रामचन्द्र सिंह
		किसानों को उचित मुआवजा		
		दिलाया जाना जरूरी है।		

सज्जनबाई
सरपंच
ग्राम पंचायत मावली
जन पंचा. छैगांवमाखन

उपखण्ड स्तरीय वन समिति की बैठक
- का कार्यवाही विवरण -

आज दिनांक 11/09/17 को उपखण्ड स्तरीय वन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग कोकिनगांव तथा वन विभाग के उपवन मण्डलाधिकारी खण्डवा (सामान्य) उपस्थित हुए। बैठक में विकासखण्ड कोकिनगांव के ग्राम रोशिया के निकट स्थानीय नाले पर प्रस्तावित रोशिया तालाब योजना को म०प्र० शासन जल संसाधन विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति शासन के पत्र क्रमांक एफ/31/1-7/ज-स्वि/31/531, दिनांक 25.03.2017 के द्वारा लागत रु. 3318.30 लाख की 153 हे० रबी क्षेत्र के लिए प्रदान की गई है।

योजना के डुब क्षेत्र में 26.55 हे० वन भूमि प्रभावित होना पाया गया है। प्रभावित वन भूमि के सत्यापन हेतु वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 17/07/17 को स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। जिसमें मौके पर प्रभावित वन भूमि का रकबा 26.55 हे० पाया गया। योजना के डुब-क्षेत्र में प्रभावित 26.55 हे० वन भूमि जो ग्राम पंचायत बावली,

जनपद पंचायत डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के ग्राम सोनवी के अन्तर्गत वन क्षेत्र बोरिंगार के कक्ष क्र. 05 में हो रहे भूमि व्यपवर्तन से उपलब्ध रूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र में विकास की संभावना को देखते हुए ग्राम सभा ने ग्राम पंचायत सोनवली द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है।

अतः उपखण्ड स्तरीय वन समिति ने निर्णय लिया गया की वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का वन अधिकार दावा के प्रकरण लंबित नहीं है। व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है। उक्त कार्य पर अपना अभिमत सहमति व्यक्त करती है।

एस.एल. चौहान

11/9/17

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व क्र. 1 डोंगरगांव

उप व.म.अ.
(सामान्य)

अनुविभागीय अधिकारी
(म.प्र.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय ग्रामसभा ग्राम पंचायत बंझर, जनपद पंचायत भीकनगांव
जिला खरगोन मध्यप्रदेश

–ग्रामसभा का सहमति पत्र –

प्रमाणित किया जाता है–

1. जल संसाधन विभाग की रोशिया तालाब योजना में बांध एवं नहर निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम बंझर के आरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड कांझर के कक्ष क्रमांक 966 में है उक्त वनभूमि(2.10 हे.) के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्रामसभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासीयों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत भवन दिनांक 22/04/18 को की गई जिसमें ग्रामसभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वनभूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अनय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है, तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्रामसभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नः– ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांकः–

रमाबाई
सरपंच
ग्राम पंचायत बंझर
जनपद पंचायत भीकनगांव

सहायक सचिव
ग्राम पंचायत बंझर
जनपद पंचायत भीकनगांव

Scanned with CamScanner

पंचायत की बैठकों की कार्यवाही की पुस्तक

प्रस्ताव	ठहराव
1	2
प्रस्ताव क्र. 1. जल संसाधन विभाग की रोशिया तालाब योजना में बांध निर्माण का कार्य अन्तर्गत डुब क्षेत्र में आने वाली ग्राम पं. कसार की आरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड 166 की वन भूमि का प्रस्ताव बाबद	ठहराव आज दिनांक 26-1-2018 को ग्राम पंचायत भवन कसार में ग्राम सभा की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम सभा में जल संसाधन विभाग की रोशिया तालाब योजना में बांध का निर्माण कार्य किया जाना उचित है। रोशिया तालाब योजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. क्र० 22/2/2016-17/म.सि./3/531/ भोपाल दिनांक 24-03-2017 के द्वारा लागत रु. 338.30 लाख की 155 हेक्टेयर क्षेत्र के लिये प्रदान कि गई है। योजना के डुब क्षेत्र में ग्राम कसार के आरक्षित वन क्षेत्र कांजर के वन खण्ड में कक्ष क्र. 166, 2.100 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं प्रभावित डुब क्षेत्र वन भूमि का सीमांकन किया गया जिससे डुब क्षेत्र की वन भूमि 2.100 हेक्टेयर आयी है। उक्त वन भूमि क्षेत्रफल 2.100 हेक्टेयर के व्यपवर्तन हेतु ग्राम सभा में

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव	ठहराव	स्वी क्रं.
1	2	
	यह प्रस्ताव किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास एवं भू-जल स्तर में वृद्धी होगी। अतः ग्राम सभा उक्त पर अपनी सहमति का प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित करती है।	

सहायक सचिव
ग्राम पचायत बन्हेर
जनपद पंचायत भीकनगाँव

रमाबाई
सरपंच
ग्राम पंचायत बन्हेर
जनपद पंचायत भीकनगांव

Scanned with CamScanner

पंचायत की बैठकों की कार्यवाही की पुस्तक

प्रस्ताव	ठहराव
1	2
प्रस्ताव क्र. 10	ठहराव
जल संसाधन विभाग सिरोशिया नालक योजना	आज दिनांक 26-01-2018 को ग्राम सभा बैठक में बन्दर के किसानो द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि डेम निर्माण कार्य हेतु किसानो को उचित मुआवजा दिलाया जाना जरूरी है।
	रमाबाई सरपंच ग्राम पंचायत बन्डर जनपद पंचायत भीकनगांव
	सहायक सचिव ग्राम पंचायत बन्डर जनपद पंचायत भीकनगांव

एवं

स्वे क्रं.

Scanned with CamScanner

DATE ____
PAGE ____

ग्राम सभा उपस्थिती रजिस्टर

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

नाम	हस्ताक्षर
सरपंच	रमाबाई
सचिव	
स. सचिव	[signature]
उपसरपंच	पप्पू वघवाल
सुरेश कोकारे	[signature]
भूरे सिंह कछवाहे	भूरेसिंह
भागीरथ	भागीरथसिंह
रामसिंह	रामसिंह पवार
गोविन्दजी	गोविन्दजी
गजेन्द्र	गजेन्द्र
विक्रमसिंह	विक्रमसिंह
अर्जुनसिंह	अर्जुनसिंह
जयपालसिंह	जयपाल सिंग
भोपालसिंह	भोपालसिंह
	[signature]
धुमसिंह	धुमसिंह
दातार सिंह	दातार सिंग
दमाराम	दमाराम
बसू	बसू

Scanned with CamScanner

DATE ______
PAGE ______

गोकुल	गोकुल जी
ध्यानसिंह	ध्यानसिंह
पुरणसिंह	पुरणसिंह
हुकुम सिंह	हुकुम
महिपाल सिंह	महिपाल सिंह
कड़वाजी	कड़वाजी
श्यामा	श्यामा
लखन	लखन
अखिलेश	अखिलेश
पं. उद्धवजी तारे	पं उद्धवतारे
अर्जुनसिंह	अर्जुन सिंह
शिवराम	शिवराम
जितेन्द्र	जितेन्द्र
	[signature]
	[signature]
लखनसिंह	लखनसिंह
महेश	महेश सिंह
	[signature]
शंकर	शंकर
कृष्णाबाई	कृष्णाबाई
रमेश	रमेश सिंह
राजेन्द्र	राजेन्द्र
रघुवीर	रघुवीर
दातारसिंह	दातार सिंह
राजेन्द्र	राजेन्द्र सिंह
रामलाल	रामलाल

Scanned with CamScanner

DATE
PAGE

सिंह

अजयसिंह
ोष कुमार
सुरणसिंग
जामले पिता नारायण
[illegible]र
त बारसे
गवरक चौकिदार
सोरा-रवतवाजे
सिंह
२०५सि

कार्यालय ग्रामसभा ग्राम पंचायत सोमला, जनपद पंचायत भीकनगांव
जिला खरगोन मध्यप्रदेश

–ग्रामसभा का सहमति पत्र –

प्रमाणित किया जाता है–

1. जल संसाधन विभाग की रोशिया तालाब योजना में बांध एवं नहर निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम सोमला के आरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड कांझर के कक्ष क्रमांक 967 में है उक्त वनभूमि(1.30 हे.) के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्रामसभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति ओर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासीयों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत भवन दिनांक 22/04/18 को की गई जिसमें ग्रामसभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वनभूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अनय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है, तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्रामसभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नः– ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांकः–

सचिव
ग्राम पंचायत सोमला
जनपद पंचायत भीकनगांव

किरणबाई
अध्यक्ष
ग्राम पंचायत सोमला
जनपद पंचायत भीकनगांव

(1) रूपसिंह
(2) रायसिंह
(3) सोमसिंह
(4) [illegible]

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव 63	ठहराव 27/11/018
1	2

प्रस्ताव 63   दिनांक 27/11/018

आज दिनांक 27/11/018 को ग्राम तोमला
मे ग्राम सभा बैठक मे जल संसाधन विभाग
द्वारा ग्राम सभा बैठक मे यह प्रस्ताव
किया गया है कि रेशिया तालाब योजना ग्राम
सभा मे जल संसाधन मे नहर निर्माण विभाग की
रेशिया तालाब का कार्य अन्तर्गत योजना मे नहर का
निर्माण डूब क्षेत्र मे कार्य किया जाना उचित एवं
आने वाली ग्राम रेशिया तालाब योजना तोमला की
आरक्षित की प्रशासकीय स्वीकृति वन क्षेत्र के वन
म.प्र. शासन जल संसाधन ख.क्रं. 967 की वन विभाग
मंत्रालय के पत्र भूमि का प्रस्ताव क्रं 24/2/2016-17/ला/
सि/31/531/भोपाल दिनांक 24/3/017
द्वारा लागत रु 3318.80 लाख
की 755 हेक्टर क्षेत्र के लिए प्रदान
की गई है। योजना के डूब क्षेत्र
मे ग्राम तोमला के आरक्षित वन
क्षेत्र कांकर के वन खंड 3 मे कक्ष
क्रं 967 . 1.200 हेक्टर वन भूमि
प्रस्तावित हो रही है। दिनांक 27/1/018
को जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग
द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं प्रभावित
डूब क्षेत्र का भूमि का सीमांकन
किया गया है जिसमे डूब क्षेत्र
की वन भूमि 1.200 हेक्टर आई है
उक्त वन भूमि का क्षेत्रफल 1.200
हेक्टर के व्यपवर्तन हेतु

धन्यवाद

Scanned with CamScanner

पंचायत की बैठकों की कार्यवाही की पुस्तक एवं स्व

प्रस्ताव	ठहराव	स्वीकृत क्र. तथ
1	2	
	ग्राम सभा मे यह प्रस्तावित किया जाता है कि वर्षभरि व्ययवर्ति की फुल स्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास एवं पु: जल स्तर मे वृद्धि होगी अत: ग्राम सभा उक्त पर आपनी सहमति का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया है	
	जल संसाधन आग विभाग 27/1/8 को ग्राम विभाग बरोरियापा ग्राम पोचक में ग्राम लोगन एवं अन्य किसानों द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि उक्त निर्माण कार्य हेतु किसानों को उचित मुवावजा दिलाया जाना जरूरी है	
	[signature] सचिव ग्राम पंचायत रामपुरा जनपद पंचायत [illegible]	
	किरनबाई सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा जनपद पंचायत [illegible]	

Scanned with CamScanner

...वं स्वीकृत प्रस्तावों की तामील का रजिस्टर

Swastik
SBS-57

स्वीकृत प्रस्ताव कं. तथा दिनांक	विवरण	तामील क्या हुई
3	4	5
...त	रायसिंह	
...ुझी	सोहन	
...नपादित	कोमलसिंह	
...ष	भगाराम	
...छेगये	राधेलाल	
...आपकी	डोंगरसिंह	
...महमति	मानसिंह रावत	
	दिनेश	
...र7/15	रामचन्द्र	
...जना		
...न्या	लालसिंह	
...वा	जयपालसिंह	
...नार्य	दिनेश	
...जका	मोहनसिंह	
	धर्मेन्द्र	
	नरेन्द्र	
	मोहनसिंह	
	करण सिंह	
	रामचन्द्र	
	सुखराम	
	ओमसिंह	
	डूंगर	

Scanned with CamScanner

ग्राम सभा ग्राम पंचायत नावली जनपद पंचायत छैगांवमाखन जिला खंडवा
मध्य प्रदेश

--: ग्राम सभा का सहमति पत्र :--

प्रमाणित किया जाता है :--

1. जल संसाधन विभाग की रोशिया तालाव योजना में बांध एवं नहर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम तोरनी के आरक्षित वन क्षेत्र के वनखंड रोशिया के कक्ष क्र. 05 में है उक्त वन भूमि (36.315 है.) के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (सरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुन हुआ है |
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनु.जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है | प्रस्ताव परिक्षण एवं उक्त कार्य ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत भवन दिनांक 8/1/19 को की गई जिसमे ग्राम सभा से 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे |
3. ग्राम सभा वह प्रस्तावित करती है की व्यपवर्तन के लिये आवेदित वनभूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनु. जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता)अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ / प्रक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है |
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किये किये जाने वाले कार्य मे पंचायतक्षेत्र के विकास की सम्भावना है | अत: ग्रामसभा एतद द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत / सहमती व्यक्त करती है |

संलग्न :- ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति |

दिनांक :- 8/1/19

सचिव
ग्राम पंचायत नावली
जन. पंचा. छैगांवमाखन

प्रधान
ग्राम पंचायत नावली
जन. पंचा. छैगांवमाखन

Scanned with CamScanner

कार्यवाही पुस्तक कार्यालय ग्राम पंचायत नावली

दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	की गई कार्यवाही — विवरण	की गई कार्यवाही — संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6
3/1/19	(1) श्रीमती सजनबाई		आज दिनांक 3/1/19 को		
	सरपंच		ग्राम पंचायत भवन नावली		
	(2) श्री सुखपाल सिंह		मे विशेष ग्राम सभा बैठक		
	उपसरपंच		का आयोजन प्रातः 11	नरेश सावके	
	(3) श्री जीवन सावले		बजे किया गया था	[signature]	
	ग्रा.प. सदस्य		परन्तु कोरम के ~~अभाव~~		
	(4) श्रीमती सुधा तवर		अभाव मे ग्राम सभा		
	(5) श्री भीवा ग्रा.प.स		स्थगित की गई एवं		
	(6) श्री जितेन्द्र		पुनः 1 घन्टे बाद ग्राम		
			सभा बैठक का आयोजन		
			किया गया		

	प्रस्ताव क्र.			
	मांगलिक भवन निर्माण कार्य बाबत	आज दिनांक को ग्राम सभा बैठक मे यह प्रस्ताव रखा गया निम्न ग्रामों मे मांगलिक भवन निर्माण कार्य कराया जाना उचित है ग्राम - तोरनी मे अ.ज.जा बस्ती मे एवं अ.जा. बस्ती मे	[illegible]	सुगा तवँर W.W जीवा
	प्रस्ताव क्र 2 चेक डेम निर्माण कार्य बाबत	आज दिनांक को ग्राम सभा बैठक मे यह प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम तोरनी मे भवरा्सिंह के खेत पास	सजनबाई प्रधान ग्रामपंचायत [illegible]	जितेन्द्र

	की गई कार्यवाही			
उपस्थित सदस्यों के नाम	विवरण	संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
2	3	4	5	6
	प्रस्ताव क्र. 3 पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन बाबत	आज दिनांक को यह प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम- तोरनी नावली मे नवीन नलकूप खनन कराया जाना उचित है।		
	प्रस्ताव क्र 4 सुदूर सड़क योजना बाबत	आज दिनांक को ग्राम सभा बैठक मे यह प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम सेटला से सिंगाजी तरफ सुदूर सड़क योजना के रोड निर्माण [illegible]		
	[illegible]	[illegible]		

प्रस्ताव क्र 5 पोखर निर्माण कार्य	आज दिनांक को यह प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम तोरनी 2 एवं सहजनाबाद में पोखर निर्माण कार्य कराया जाना उचित है।	
प्रस्ताव क्र 6 पुलिया निर्माण बाबत	आज दिनांक को ग्राम सभा बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम तोरनी में (1) गडबड मांगीलाल के खेत पास (2) रामु मांगीलाल के खेत पास (3) अर्जुन सिंह के खेत पास ग्राम नावली में (1) धावर सिंह के खेत पास (2) जगदीश सिंह के खेत पास सहजनाबाद में (1) जीवा देवा के खेत पास 2	सजनबाई सरपंच ग्राम पंचायत ... जन. पंचा. ...

कार्यवाही पुस्तक कार्यालय ग्राम पंचायत नावली ज.पं. [illegible]

दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	की गई कार्यवाही — विवरण	की गई कार्यवाही — संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
8/1/19					
1	2	3	4	5	6
		प्रस्ताव क्र. 7 सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम तोरनी	आज दिनांक 8/1/19 को ग्राम सभा बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम-तोरनी मे निम्न स्थानो पर सी.सी.रोड सह. नाली निर्माण कार्य ① कमल कान्या के घर से आकाश आनंदुम के घर तरफ ② कालू कान्या के घर से भैरु बाबा तरफ		
		प्रस्ताव क्र 8 पेयजल कूप निर्माण [illegible]	आज दिनांक 8/1/19 को [illegible]		

		ग्राम - नावली मे पेयजल कूप निर्माण कार्य रमेश के खेत पास कराया जाना उचित है		
	प्रस्ताव क्र० ७ आंगनवाडी भवन निर्माण कार्य बाबत्	आज दिनांक [illegible] को ग्राम सभा बैठक मे यह प्रस्ताव रखा गया कि निम्न ग्रामो मे नवीन आंगनवाडी भवन निर्माण कार्य कराया जाना उचित है (1) ग्राम नावली मे स्कूल के (2) ग्राम लोरनी मे	[illegible]	

दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	की गई कार्यवाही		प्रस्ताव निर्णय	सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
		विवरण	संक्षिप्त कार्यवाही		
1	2	3	4	5	6
8-1-19 ~~25-18~~		प्रस्ताव क्र. 10 C.C. रोड और पोखर निर्माण।	आज दिनांक 8-1-19 को ग्राम सभा बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम सहेलका के C.C. रोड रहे वाली निर्माण कार्य रामसिंह के घर से स्कूल भवन की तरफ ओर। (2) पोखर निर्माण कार्य नारायणसिंह के खेत के पास सहेलका। (3) चेक डेम निर्माण कार्य पूरणसिंह के खेत के पास		रमेश। राजू धर्मेन्द्र रमेश। [illegible] [signature] [illegible] [signature] [illegible]
		[illegible]	[illegible]		[illegible]

	प्रस्ताव क्र 11 ग्रा.शा. भवन नावली मे शौचालय निर्माण कार्य बाबद।	आज दिनांक को ग्राम सभा बैठक मे यह प्रस्ताव रखा गया कि ग्रा.शा. भवन नावली मे शौचालय निर्माण कार्य कराया जाना उचित है		[illegible] राजकुमार [illegible] राजपालसिंह रामकृष्ण [illegible] दिनेश [illegible] भैयालाल [illegible] [illegible] दीपक सखाराम [illegible] हिम्मत सिंह [illegible]
	प्रस्ताव क्र 12 जल संसाधन विभाग की रोहीया तालाब योजना मे बांध निर्माण के कार्य अन्तर्गत डुब क्षेत्र मे आने वाली ग्राम पंचायत नावली के ग्राम तोरनी की आरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड क्र 05 की वन भूमि का प्रस्ताव बाबद।	आज दिनांक 8/1/19 को ग्राम सभा बैठक मे यह प्रस्ताव रखा गया कि जल संसाधन विभाग की रोहीया तालाब योजना मे बांध का निर्माण कार्य किया जाना उचित है रोहीया तालाब योजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 22/2/2016-17/1सी/31/531/भोपाल दिनांक 24/03/17 के द्वारा लागत रु 3318.30 लाख की	सज्जनबाई सरपंच ग्राम पंचायत नावली जन. पंचा. [illegible]	जोगा देवसुर [illegible]

दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	की गई कार्यवाही		प्रस्ताव निर्णय	सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
		विवरण	संक्षिप्त कार्यवाही		
1	2	3	4	5	6
1.1.19			[illegible] हेक्टेयर क्षेत्र के लिये प्रस्थान की गयी है। योजना के डूब क्षेत्र में ग्राम पंचायत मावली के ग्राम लोरली की आरक्षित वन भूमि के वन खण्ड में कक्ष [illegible] की 36.315 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं प्रभावित डूब क्षेत्र वन भूमि का सीमांकन किया गया है जिसमें		संतोष बटीराम नन्दराम गोपाल [illegible] [illegible]
			डूब क्षेत्र की वन भूमि 36.[illegible] हेक्टेयर आदि		

Scanned with CamScanner

		किया गया है जिसमे डुब क्षेत्र मे वन भूमि उ.ा.उा.ड हेक्टेयर आई है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ग्राम सभा मे यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है वन भूमि व्यपवर्तन के फल स्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र मे विकास एवं भूजल स्तर मे वृद्धि होगी अत सर्वसहमति से प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है	
	प्रस्ताव क्र. 13 जल संसाधन विभाग की बोरिया तालाब योजना बाबद	आज दिनांक को ग्राम सभा बैठक मे यह प्रस्ताव रखा गया कि नावली एवं लोरमी के किसानो उक्त निर्माण कार्य हेतु उचित मुआवजा दिया जाना जरूरी है	[illegible] सरपंच ग्राम पंचायत नावली जन. पंचा. छिंदवाड़ा[illegible]

कार्यवाही पुस्तक कार्यालय ग्राम पंचायत नावली जनपद पंचायत छैगांवमाखन

दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	की गई कार्यवाही विषय	 संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6
/19	(1) श्रीमती सजनबाई सरपंच (2) श्री खुशालसिंह उपसरपंच (3) श्री लखन सावले ग्राम सभा सदस्य (4) श्रीमती सुधा तवर (5) श्री रमेश ग्राम सभा सदस्य (6) श्री राजु —"— (7) श्री धर्मेन्द्र —"— (8) श्री जीवनसिंह —"— एवं उपस्थित सदस्य गण	प्रस्ताव क्र 12 जल संसाधन विभाग की रोहीमा तालाब योजना मे बांध निर्माण के कार्य अन्तर्गत डुब क्षेत्र मे आने वाली ग्राम पंचायत नावली के ग्राम तोरनी की आरक्षित वनक्षेत्र के वन खण्ड क्र. 05 की वन भूमि का प्रस्ताव बाबद। सत्यप्रति लिपि सत्यप्रति सम्मिलित सचिव ग्राम पंचायत नावली जन पंचा. छैगांवमाखन	आज दिनांक ८।१।१९ को ग्राम सभा बैठक मे यह प्रस्ताव रखा गया कि जल संसाधन विभाग की रोहीमा तालाब योजना मे बांध का निर्माण कार्य किया जाना उचित है। रोहीमा तालाब योजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्र. 122/2/2016-17/Lसी/31/31/भोपाल दिनांक १५।३।१७ के द्वारा लागत रु. 3318.30 लाख की 955 हेक्टेयर क्षेत्र के लिये प्रदान की गई है। योजना के डुब क्षेत्र मे ग्राम पंचायत नावली के ग्राम तोरनी की आरक्षित वन भूमि के वन खण्ड मे कक्ष क्र. 05 की 36.315 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। जल संसाधन विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण एवं प्रभावित डुब क्षेत्र वन भूमि का सीमांकन किया गया जिसमे डुब क्षेत्र की वन भूमि 36.315 हेक्टेयर भूमि आई है। उक्त वन विभाग के व्यपवर्तन हेतु ग्राम सभा मे यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र मे विकास	स्वीकृत	

सजनबाई
सरपंच
ग्राम पंचायत नावली
जन. पंचा. छैगांवमाखन

Scanned with CamScanner

...र्यवाही पुस्तक कार्यालय ग्राम पंचायत नावली जनपद पंचायत छेगांवमाखन

दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	की गई कार्यवाही — विवरण	की गई कार्यवाही — संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव निर्णय	सदस्यों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी
1	2	3	4	5	6
			एवं भूजल स्तर मे वृद्धि होगी अतः सर्व सहमति से प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।		
		प्रस्ताव क्र. 13 जल संसाधन विभाग की रोहीया तालाब योजना मे किसानो को मुआवजा दिलाने बाबत्।	आज दिनांक 8/11/19 को ग्राम सभा बैठक मे यह प्रस्ताव रखा गया कि जल संसाधन विभाग की रोहीया तालाब योजना मे ग्राम नावली एवं तोरनी के किसानो को उचित मुआवजा राशि दिया जाना उचित है।	स्वीकृत	
		सत्य प्रति दो प्रति संलग्न [signature] सचिव ग्राम पंचायत नावली जन.पंचा. छेगांवमाखन	सज्जनबाई		

निदु क्र 2

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन (म.प्र.)

e-mail ID : wrdkhargone@gmail.com दूरभाष नम्बर– 07282-241220

पत्र क्र. 2955 /कार्य/2022 खरगोन, दिनांक 6/09/2022

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विकास खण्ड भीकनगांव में स्वीकृत रोशिया तालाब योजना के निर्माण से 04 ग्राम क्रमशः रोशिया, सोमला, रामपुरा एवं बंझर की 955 हेक्टर रबी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ के साथ ही क्षेत्र के आदिवासी कृषकों का आर्थिक उत्थान होगा। इसके अतिरिक्त योजना के निर्माण से क्षेत्र में भू–जल में वृद्धि एवं मवेशियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः योजना के निर्माण से उक्त औचित्यता सार्थक होगी।

(पी.के. ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

Scanned with CamScanner

470
10/1/22

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अति उच्च दाब(संधा.) संभाग
मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर,
रजिस्टर्ड ऑफिस: ब्लॉक नं. 2, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर- 482008 (म.प्र.)
MPEB Campus Polo ground Indore(M.P)- 452003 Tel. 0731-2420514, E-mail:- eeehtm.ind@mptransco.nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रं. 1500/2021-22/1159 इन्दौर दिनांक - 20/12/21

प्रति

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, खरगोन

विषय:- जिला खण्डवा एवं खरगोन के अंतर्गत रोशिया तालाब योजना के निर्माण हेतु वनमण्डल खण्डवा की 36.315 हेक्टर वन भूमि एवं वन मण्डल खरगोन की 3.4 हेक्टर वन भूमि कुल 39.715 हेक्टर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबद्।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र क्रं. 5017 दिनांक 30.11.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि योजना में प्रभावित ट्रांसमिशन लाईनों की शिफ्टिंग शामिल है बाबद् अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया था।

अतः उपरोक्तानुसार इस पत्र के साथ प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

कार्यपालन यंत्री
अउदा(संधा.) संभाग
म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.. इन्दौर

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता अउदा (संधा.)वृत्त म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., इन्दौर।

Scanned with CamScanner

M.P. POWER TRANSMISSION COMPANY LTD.

A STATE TRANSMISSION UTILITY

(A wholly owned Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)

दिनांक - 20.12.2021

प्रमाण पत्र

चूँकी रोशिया तालाब के निर्माण से प्रभावित लाईनों के विस्थापन में लगने वाले खर्च का वहन जल संसाधन संभाग, खरगोन द्वारा किया जा रहा है।

अत: उक्त योजना में ट्रांसमिशन लाईनों की शिफ्टिंग को किया जाना शामिल है। इस कार्यालय को लाईनों की, शिफ्टिंग करने से कोई आपत्ति नहीं है।

कार्यपालन यंत्री
अउदा(संधा.) संभाग
म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.,इन्दौर
Executive Engineer
E.H.T. Maintenance Divn.
M.P.P.T.C.L., INDORE

Scanned with CamScanner

बिन्दु क्र 4

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन

e-mail ID : wrdkhargone@gmail.com दूरभाष नम्बर– 07282.241220

पत्र क्र. 518 / कार्य / रोशिया–वन / 2021 खरगोन, दिनांक 30 / 11 / 2021

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड,
खण्डवा परियोजना मण्डल,
खण्डवा (म.प्र.)

विषयः– जिला खण्डवा एवं खरगोन के अंतर्गत रोशिया तालाब योजना के निर्माण हेतु वनमण्डल खण्डवा की 36.315 हेक्टर वन भूमि एवं वन मण्डल खरगोन की 3.4 हेक्टर वन भूमि कुल 39.715 हेक्टर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र. 6–MPC054 / 2021 भोपाल दिनांक 13.10.2021

---000---

विषय संबंध में संदर्भित पत्र की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित कर लेख हैं की संभाग अधीन विकास खण्ड भीकनगांव में स्वीकृत रोशिया तालाब योजना से प्रभावित 39.715 हेक्टर वन भूमि के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा 5 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई हैं। जिसमें आपके विभाग से संबंधित बिन्दु क्रमांक–4 अनुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया है।

अतः अनुरोध हैं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को प्रेषित की जाने वाली 5 बिन्दुओं की जानकारी में आपके विभाग से संबंधित बिन्दु क्र–4 अनुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सहपत्र :– सदंर्भित पत्र की छायाप्रति।

(पी.के. ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

पृ. क्रं. 519 / कार्य / रोशिया–वन / 2021 खरगोन, दिनांक 30 / 11 / 2021

प्रतिलिपिः–

अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, भीकनगांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश हैं आप स्वयं संबंधित कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु संपर्क करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(पी.के. ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री,
O/C जल संसाधन संभाग, खरगोन

Scanned with CamScanner

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)
TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

File No. 6-MPC054/2021-BHO

Dated: 13/10/2021

To,

The Principal Secretary (Forests)
Govt. of Madhya Pradesh
Satpura Bhawan
Bhopal.

Sub.: **Diversion of 39.715 ha of Reserved Forest land (36.315 ha in Khandwa Division and 3.40 ha in Khargone Division) for construction of Roshiya Tank Project in favour of Water Resource Department, Khargone, Madhya Pradesh (FP/MP/IRRIG/32304/2018)- reg.**

Ref.: PCCF(LM), Govt. of MP letter No. F-3/107/2018/10-11/10/3131 dated 16.09.2021.

Sir,

With reference to the above mention subject and letter under reference, undersigned is directed to inform you that it is observed that proposal needs further clarification. In this connection, undersigned is directed to request you to submit following information/ documents :

1. Gram Sabha resolution shall be submitted.
2. Justification note of the project shall be uploaded on *web-portal*.
3. Shifting of transmission line towers is involved in this project. Thus, NOC from the competent authority of transmission line shall be submitted.
4. The Regional Director, Khandwa Project Division recommended the proposal only after receipt of specified amount. In this regard, comments of State Govt. as well as unambiguous NOC of Regional Director, Khandwa Project Division, MPRVVN shall be submitted.
5. It appears that some part of forest land has not been included in the KML file. Thus, revised KML file of proposed diversion area including Dam Axis, Submergence and non-forest land involved shall be submitted.

(signature)

(Hare Ram Kumar)
Technical Officer (Forestry)

Copy to: The PCCF (LM) and Nodal Officer, Forest Department, Govt. of MP, Satpura Bhawan, Bhopal-462004.

(signature)

(Hare Ram Kumar)
Technical Officer (Forestry)

Signed by Hare Ram Kumar

Scanned with CamScanner

1

कार्यालय संभागीय प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड,
खण्डवा परियोजना मण्डल, "सिविल लाईन जिला खण्डवा (म.प्र.)
दू.नं. 0733-2225025 CIN:U02001MP1975SGC001341, Email-mprvnkhandwa5@gmail.com

क्र./वविनि/माचि/4771 खण्डवा, दिनांक 23/12/2021

प्रति,

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक,
म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि.,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- रोशिया सिंचाई तालाब से प्रभावित वन भूमि एवं 220 के.व्ही. ओंकारेश्वर खण्डवा तथा 132 के.व्ही. बडवाह-छैगांव लाईन के टावर शिफ्ट करने हेतु 36.315 हेक्ट वन भूमि उपयोग में देने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

सन्दर्भ :- 1. इस कार्यालय का पत्र कमांक 4887 दिनांक 22.1.2021
2. आपके द्वारा दिनांक 20.12.2021 को प्राप्त निर्देश अनुसार।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन का पत्र कमांक 518 दिनांक 30.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भ क. 1 के तहत रोशिया सिंचाई तालाब से प्रभावित वन भूमि उपयोग में देने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था दिनांक 20.12.2021 को सन्दर्भ कं. 2 के तहत प्राप्त निर्देशों के अनुरूप संशोधित प्रस्ताव एवं प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

खण्डवा सामान्य वनमण्डल से म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि., खण्डवा परियोजना मण्डल खण्डवा को हस्तांतरित एवं प्रभार में प्राप्त कक्ष कमांक 5 की कुल 36.315 हेक्ट. वन भूमि का रोशिया तालाब एवं 220 के.व्ही. ओंकारेवश्र खण्डवा तथा खण्डवा -छैगांव लाईन के टावर शिफ्ट करने हेतु उपयोग मे लेने के लिए कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग खरगोन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी खण्डवा पंचम के द्वारा उक्त भूमि का सर्वेक्षण जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थित मे किया गया है एवं सीमा चिन्हों को मौके पर स्थापित किया गया है।

प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित वन भूमि पर इस परियोजना मण्डल द्वारा वर्ष 2016 में रोपित सागौन पौधों में से कुल 60800 पौधे एवं 18221 आरक्षित/प्राकृतिक वृक्ष गणना में पाए गए है। (संलग्न तालिका-अ)

उपरोक्तानुसार प्रभावित वन भूमि पर उपलब्ध कुल 18221 आरक्षित/प्राकृतिक वृक्षों की अनुमानित उत्पादन की गणना खण्डवा सामान्य वनमण्डल की स्थल गुण श्रेणी Va के आधार पर वनोपज का अनुमानित उत्पादन 1105 घ.मी. (इमारती 778.000 घ.मी., जलाऊ

Scanned with CamScanner

327 चट्टे) प्राक्कलित है। (संलग्न तालिका–ब) इस वनोपज की उत्पादन व्यय की गणना प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म.प्र. भोपाल से स्वीकृत 12.5 मा.दि प्रति घ.मी. के आधार पर रू. कुल 4668625/– मात्र एवं वन संरक्षक, खण्डवा द्वारा स्वीकृत परिवहन दरों के आधार पर 778 घ.मी. इमारती काष्ठ एवं 327 जलाऊ चट्टो पर परिवहन व्यय 842795 मात्र प्राक्कलित है। इस प्रकार वनोपज उत्पादन एवं परिवहन पर व्यय कुल रू. 55,11,420/– मात्र प्राक्कलित है। (संलग्न प्रपत्र स)

प्रस्तावित वन भूमि पर इस परियोजना मण्डल द्वारा रोपित एवं वर्तमान में उपलब्ध सागौन के कुल 60800 पौधों के रोपण. एवं रखरखाव कार्य पर वास्तविक व्यय का आंकलन स्वीकृत माइकोप्लान अनुसार किया गया है। कुल 60800 पौधों के रोपण, रखरखाव की व्यय राशि पर 18.66 प्रतिशत आई.आर.आर. एवं 25 प्रतिशत स्थापना व्यय सहित राशि रू. 8737461 मात्र प्राक्कलित है। (संलग्न तालिका–द)

इस प्रकार प्रभावित वन भूमि पर उपलब्ध वनोपज विदोहन परिवहन व्यय तथा वर्तमान में उपलब्ध सागौन के कुल 60800 पौधों के रोपण एवं रखरखाव कार्य पर 18.66 प्रतिशत आई.आर.आर. एवं 25 प्रतिशत स्थापना व्यय सहित प्राक्कलित व्यय राशि रू. 14164831/– (5511420 + 8737461 = 14164831) है।

उक्त वन भूमि के सर्वे डिमार्केशन एवं मार्किंग कार्य के लिए जल संसाधन संभाग खरगोन से धनादेश कमांक 2205, 24407 दिनांक 17.11.2020 द्वारा इस कार्यालय को राशि रू. 322000 (तीन लाख बाईस हजार) मात्र प्राप्त हुए है। उक्त राशि में से वास्तविक व्यय रू. 237950/– मात्र हुआ है एवं रू. 84050/– मात्र उपलब्ध है। उपलब्ध शेष राशि का समायोजन कुल प्राक्कलित राशि में करने के उपरान्त शुद्ध रू. 14164831/– (14248881 - 84050 = 14164831) मात्र प्राक्कलित है।

उपरोक्तानुसार राशि प्राक्कलन विवरण समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित आपकी ओर प्रेषित है। आवदेक संस्था से प्राक्कलित शुद्ध राशि रू. 14164831/– मात्र प्राप्त हाने के पश्चात ही भूमि उपयोग में देने बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित होगा।

कृपया उक्त विषयांतर्गत अवश्यक परीक्षण उपरान्त उचित निर्देश देने का कष्ट करें।

सधन्यवाद

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संभागीय प्रबंधक
खण्डवा परियोजना मण्डल खण्डवा

क्र./ववििनि/माचि/4772 खण्डवा, दिनांक 23/12/2021

प्रतिलिपि :– अपर प्रबंध संचालक (परि.नि.), म.प्र.रा.व.वि.नि.लि., भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक निदेशनार्थ प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संभागीय प्रबंधक
खण्डवा परियोजना मण्डल खण्डवा

Scanned with CamScanner

कार्यालय संभागीय प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड.
खण्डवा परियोजना मण्डल, "सिविल लाईंस जिला खण्डवा (म.प्र.)
दू.न. 0733-2225025 CIN:U02001MP1975SGC001341, Email-mprvvnkha: Jwa6@gmail.com

क्र. / वावान / मा.चि. / 2022 / 6021 खण्डवा, दिनांक 28/02/2022

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
खरगोन (म.प्र.)

विषय :- जिला खण्डवा एवं खरगोन के अन्तर्गत रोशिया तालाब योजना के निर्माण हेतु वनमण्डल खण्डवा की 36.315 हेक्ट. वन भूमि एवं वनमण्डल खरगोन की 3.400 हेक्ट. वन भूमि कुल 39.715 हेक्ट. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग में देने बाबत।

सन्दर्भ :- 1. आपका पत्र कमांक 518 दिनांक 30.11.2021
2. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का File No. 6-MPC054/2021-BHO Dated 13-10-2021
3. अपर प्रबंध संचालक (परि.नि.). म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि., भोपाल का पत्र पृष्ठांकन कमांक 4475 दिनांक 17.2.2022

महोदय,

उपरोक्त विषान्तर्गत सन्दर्भ कमांक 01 के तहत म.प्र. राज्य वन विकास निगम, खण्डवा परियोजना मण्डल खण्डवा के आधिपत्य में आरक्षित वन कक्ष कमांक 05 की कुल 36.315 हेक्ट वन भूमि रोशिया तालाब निर्माण हेतु उपयोग में दिए जाने बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

आरक्षित वन कक्ष कमांक 05 की वन भूमि पर दिनांक 02.02.2021 को अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग 01 भीकनगांव एवं उपयंत्री भीकनगांव की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया था। संयुक्त निरीक्षण अनुसार कक्ष क्र. 05 की कुल 36.315 है. प्रभावित वन भूमि पर क्राप-।। के कुल 18221 आरक्षित / प्राकृतिक वृक्ष एवं 60,800 रोपित पौधे उपलब्ध है। उपलब्ध कुल 18221 वृक्षो के विदोहन एवं परिवहन कार्य पर राशि रू. 55,11,420/- मात्र प्राक्कलित है।

प्रभावित वन भूमि पर इस परियोजना मण्डल द्वारा रोपित एवं वर्तमान में उपलब्ध 60800 पौधों के रोपण एवं रखरखाव कार्य पर व्यय राशि पर 18.66 प्रतिशत आई.आर.आर. एवं 25 प्रतिशत स्थापना व्यय सहित राशि रू. 87,37,461 मात्र प्राक्कलित है। इस प्रकार कुल राशि रू. 1,42,48,881/- (55,11,420+87,37,461= 1,42,48,881) मात्र प्राक्कलित है।

प्रभावित वन भूमि के सर्वे डिमार्केशन एवं मार्किंग कार्य के लिए आपके द्वारा धनादेश कमांक 220524407 दिनांक 17.11.2020 के द्वारा इस कार्यालय को राशि रू. 3,22,000/- मात्र प्रदाय की गई है। उक्त प्रदाय की गई राशि में से वास्तविक व्यय रू. 2,37,950/- मात्र हुआ है एवं रू. 84,050/- मात्र उपलब्ध है। उपलब्ध शेष राशि का समायोजन कुल प्राक्कलित राशि में से करने के उपरांत शुद्ध रू. 1,41,64,831/- (1,42,48,881-84,050 = 1,41,64,831) मात्र देय है।

Scanned with CamScanner

उपरोक्तानुसार देय राशि रूपये 1,41,64,831/– मात्र संभागीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम खण्डवा परियोजना मण्डल खण्डवा के खाता क्र 50200005753809 HDFC BANK IFSC CODE – HDFC0000062 में RTGS अथवा अथवा संभागीय प्रबंधक खण्डवा परियोजना मण्डल, खण्डवा के नाम से डी.डी. द्वारा जमा करने का कष्ट करें ताकि, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

धन्यवाद

संभागीय प्रबंधक
खण्डवा परियोजना मण्डल, खण्डवा

क्र./वविनि/मा.चि./2022/
खण्डवा, दिनांक, 28/02/2022

प्रतिलिपि :– 6022

1 अपर प्रबंध संचालक (परि.नि.),म.प्र.रा.व.वि.नि.लि., भोपाल की ओर आपके पृष्ठांकित पत्र कं/2022/4475 भोपाल दिनांक 17.2.2022 के परिपालन मेंसूचनार्थ प्रेषित।
2 क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक,म.प्र.रा.व.वि.नि.लि., इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संभागीय प्रबंधक
खण्डवा परियोजना मण्डल, खण्डवा

O/C

पृ.क्र 1518/कार्य/शेशीयाला-वन/22 दिनांक 10/05/2022

प्रतिलिपि –
अनु. अधि. ज.स. उपसंभाग भीकनगांव की ओर सूचनार्थ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित

(पी.के ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग खरगोन(म.प्र.)

O/C

F:\DIVISION OFFICE\MANCHITRKAR/16-8-2021(AUTOSAVED)

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू–प्रबंध)
प्रथम मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक / भू–प्रबंध / सिंचाई / 1754 भोपाल, दिनांक 19/5/22

प्रति,

अपर प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम,
म0प्र0 भोपाल।

विषयः–जिला खण्डवा एवं खरगोन के अंतर्गत रोशिया तालाब योजना के निर्माण हेतु वन मण्डल खण्डवा की 36.315 ह0 वन भूमि एवं वनमण्डल खरगोन की 3.400 हे. वनभूमि कुल 39.715 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग में देने बावत।

संदर्भः–संभ्रगीय प्रबंधक म0प्र.0 राज्य वन विकास निगम लि0 खण्डवा का पत्र क्रमांक 6021 दिनांक 28.02.2022.

—

उपरोक्त संदर्भित पत्र से संभागीय प्रबंधक खंण्डवा द्वारा जल संसाधन विभाग से वृक्षों के विदोहन तथा रोपण कार्य मे हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए रू. 1,41,64,831/– की राशि की मांग की गयी है।

जल संसाधन विभाग एक शासकीय विभाग है तथा इस विभाग को प्रत्यावर्तन वन भूमि पर खड़े वृक्षों के विदोहन का शुल्क राज्य शासन के निर्देशानुसार प्राप्त नहीं किया जाता है।

वन संरक्षण अधिनियम,1980 के प्रकरणो में आवेदक संस्था से सीधे राशि की मांग करना उचित नहीं है। संबंधित मंडल प्रबंधक इस कार्यालय को सीधे या आपके माध्यम से यह अवगत करा सकता है कि प्रकरण में प्रभावित वृक्षों के विदोहन पर अनुमानित व्यय आ रहा है या प्रस्तावित वन भूमि पर गत वर्षो में किये गये रोपण पर कितना व्यय हुआ है।

संभागीय प्रबंधक द्वारा लिखे गये पत्र की छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में अनुरोध है कि भविष्य में आवेदक संस्था से सीधे पत्राचार न करने के संबंध में सभी संभागीय प्रबंधकों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

19/5/2022
(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
म0 प्र0 भोपाल

पृ0क्रमांक / भू–प्रबंध / सिंचाई / 1755 भोपाल, दिनांक 19/5/22

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम लि0 इंदौर
2. मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल खंडवा/खरगोन
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, खरगोन
5. संभागीय प्रबंधक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, खण्डवा,

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

19/5/2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
म0 प्र0 भोपाल

Scanned with CamScanner

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन

e-mail ID : wrdkhargone@gmail.com दूरभाष नम्बर– 07282.241220

क्र2537/कार्य/रोशिया–वन/2022 खरगोन, दिनांक 02/08/2022

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड,
खण्डवा परियोजना मण्डल,
खण्डवा (म.प्र.)

विषयः– जिला खण्डवा एवं खरगोन के अंतर्गत रोशिया तालाब योजना के निर्माण हेतु वनमण्डल खण्डवा की 36.315 हेक्टर वन भूमि एवं वन मण्डल खरगोन की 3.4 हेक्टर वन भूमि कुल 39.715 हेक्टर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र. 6–MPC054/2021 भोपाल दिनांक 13.10.2021
2. आपका पत्र क्र. विविनि/मा.चि./2022/6021 खण्डवा दिनांक 28.02.2022
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र पृ.क्र./भू–प्रबंध/सिंचाई/1755, भोपाल दिनांक 19.05.2022

––000––

विषय संबंध में संदर्भित पत्र–1 की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित कर विकास खण्ड भीकनगांव में स्वीकृत रोशिया तालाब योजना से प्रभावित 39.715 हेक्टर वन भूमि के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा 5 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई हैं। जिसमें आपके विभाग से संबंधित बिन्दु क्रमांक–4 अनुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया था।

अनुरोध हैं संदर्भित पत्र क्रमांक–2 एवं 3 के अवलोकन के पश्चात प्रतिपूर्ति हेतु वांछित राशि के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाना है। अतः आपके विभाग से संबंधित बिन्दु क्र–4 अनुसार लंबित अनापत्ति प्रमाण–पत्र अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे, ताकि बिन्दुवार जानकारी भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को शीघ्र प्रेषित की जा सकें।

सहपत्र :– निरंक।

(पी.के. ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

पृ. क्र2538/कार्य/रोशिया–वन/2022 खरगोन, दिनांक 02/08/2022

प्रतिलिपिः–

अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, भीकनगांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश हैं आप स्वयं संबंधित कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(पी.के. ब्राहम्णे)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

O/C

Scanned with CamScanner

कार्यालय संभागीय प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड,

खण्डवा परियोजना मण्डल,"सिविल" लाईन जिला खण्डवा (म0प्र0)
दू.न. 0733-2225025 CIN U02001MP1975SGC001341, Email-mprvvnkhandwa6@gmail.com

क्रमांक /व वि नि /मा चि/22/3121 खण्डवा, दिनाक 05/08/2022

प्रति,

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक

म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. इदौर

विषय– जिला खण्डवा एवं खरगोन के अंतर्गत रोशिया तालाब योजना के निर्माण हेतु खण्डवा की 36.315 हे0 वन भूमि एवं वन मण्डल खरगोन की 3.4 हे0 वन भूमि कुल 39.715 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग मे देने बाबत्।

संदर्भ– 01. इस कार्यालय का पत्र क्र./मा चि/2022/2186 दिनांक 22.06.2022

02. कार्यपालन यत्री जल संसाधन संभाग खरगोन का पत्र क्र. 2537 दिनांक 02.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भ के तहत निवेदन है कि, वनमण्डल खण्डवा से वन विकास निगम को हस्तांतरित वन कक्ष क्रमांक 05 की कुल 36.315 हे0 वन भूमि जिस पर इस परियोजना मण्डल द्वारा वर्ष 2016 मे सागौन रोपण किया गया है। उक्त वृक्षारोपित वन भूमि पर जल संसाधन संभाग खरगोन द्वारा रोशिया तालाब का निर्माण किया जाना है। इस हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा इस परियोजना मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया था। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पुनः संदर्भित पत्र क्र. 02 के तहत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खरगोन द्वारा लेख किया गया है। (छायाप्रति संलग्न) उक्त सबंध में संदर्भ क्र 01 में दर्शित पत्र के तहत प्राक्कलित राशि प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया था। (छायाप्रति संलग्न)

पुनः अनुरोध है कि, विषयातर्गत कार्य के सबध मे उचित कार्यवाही करने का कष्ट करे ताकि, प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

धन्यवाद।

सलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

संभागीय प्रबधक
खण्डवा परियोजना मण्डल खण्डवा

पृ0 क्रमाक /व वि नि /मा चि/22/3122 खण्डवा, दिनांक 05/08/2022

प्रतिलिपि– 1. अपर प्रबध संचालक (परि.नि) म.प्र.राज्य वन विकास निगम लि भोपाल की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. कार्यपालन यत्री जल ससाधन सभाग खरगोन की ओर सूचनार्थ।

सभागीय प्रबधक
खण्डवा परियोजना मण्डल खण्डवा

Scanned with CamScanner